संख्या- 800 जेड/6-सा-1-2012-55जी/90

प्रेषक

चन्द्रभानु,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2012

विषय:-आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1) देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को रु0 3000/- (रु0 तीन हजार मात्र) मासिक सम्मान राशि दी जायेगी। यह राशि दिनांक-01.04.2012 से देय होगी।

2) आदेश निर्गत होने की तिथि से उपरोक्त राजनैतिक बन्दियों को उनके एक सहयोगी सहित उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी।

3) आदेश निर्गत होने की तिथि से उपरोक्त राजनैतिक बन्दियों/लोकतन्त्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य होगी।

2- "**लोकतंत्र सेनानी**" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी व्यक्ति से है, जिसने देश में दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये राजनैतिक रूप से सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया और जो इन कार्यक्रमों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा एवं डी0आई0आर0 में कारागार में राजनैतिक रूप से निरूद्ध रहे हों।

3- ऐसे व्यक्तियों को उक्त सुविधायें अनुमन्य नहीं होंगी, जो राजनैतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से कारागार में निरूद्ध रहे हों अथवा ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी को देय सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के हित में या किसी और व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के हित में कोई असत्य विवरण या सूचना प्रस्तुत की हो या प्रमाण पत्र दिया हो।

4- इन नियमों के अधीन सम्मान राशि नियमावली के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा पूर्व की भांति परिचय पत्र निर्गत कर स्वीकृत की जायेगी। जिन लोकतंत्र सेनानियों को पूर्व में परिचय पत्र निर्गत किये गये हैं, तथा यदि वे इस नियमावली में निर्धारित शर्तें पूर्ण करते हों तो उन्हें उन्हीं परिचय पत्र

का आधार मानकर सम्मान राशि स्वीकृत की जायेगी, बशर्ते कि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न हो। सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात सीधे ही कर दिया जायेगा।

5— लोकतन्त्र सेनानियों को परिचय पत्र सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

6 लोकतन्त्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो एवं आपात काल के दौरान देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध रहा हो, वहाँ का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।

7— यदि किसी ऐसे पात्र लोकतन्त्र सेनानी की मृत्यु दिनांक–01.04.2012 के पश्चात योजना लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितने दिन लोकतन्त्र सेनानी दिनांक–01.04.2012 के बाद जीवित रहा।

8 लोकतन्त्र सेनानी को सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत परिचय पत्र के आधार पर एक सहचर सहित उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी। इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

9— लोकतन्त्र सेनानियों से यात्रीकर अतिरिक्त यात्रीकर तथा बीमा अधिभार वसूल नहीं किया जायेगा परन्तु इसकी प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उसी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी जिस प्रकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति की जाती है।

10— लोकतन्त्र सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी एवं इसके लिये चिकित्सा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

11— सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता जनपद के किसी बैंक की उस शाखा में जहाँ वह रहता है, में खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

12— सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और धनराशि बैंकवार विवरण संलग्न किया जायेगा। इस विवरण के अनुसार ही कोषागार द्वारा बैंकों की मुख्य शाखावार ट्रेजरी चैक जारी किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी इन चैकों के साथ बैंक शाखावार खाता धारकों के नाम, पता खाता संख्या तथा बैंक शाखा के नाम की सूची संलग्न कर जिले की सम्बन्धित बैंक की मुख्य शाखा में जमा करेंगे। तत्पश्चात् बैंक द्वारा उक्त विवरण के अनुसार सम्मान राशि पाने वाले खाता धारकों के खाते में धनराशि क्रेडिट की जायेगी। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

13— सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा नियमानुसार उनका लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

14 स्वीकृत सम्मान राशि तथा अन्य सुविधायें निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है:-

I. अनैतिक अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण।
II. किसी भी जुर्म (राजनैतिक सजाओं को छोड़कर) पर दण्डित होने के कारण।

III. नियमावली के नियम–3(1)(2) में उल्लिखित अपात्रता जिसके बावजूद गलत ढंग से सम्मान राशि प्राप्त कर ली गयी हो ।

IV. सम्मान राशि स्वीकृति के लिये नियमावली के साथ संलग्न आवेदन- पत्र में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिये जायेंगे।

V. आवेदक द्वारा कारागार में निरूद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन–पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

VI. किसी भी प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा जांच करायी जा सकती है।

VII. यदि कोई व्यक्ति, ऐसे विवरण या प्रमाण–पत्र के आधार पर जिसे गलत पाया जाय, सम्मान राशि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर स्वीकृत सम्मान राशि किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा प्राप्त की गयी राशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में उससे वसूल की जायेगी।

15– सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है इसलिए यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए जिलाधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

16– लोकतंत्र सेनानियों को उपरोक्तानुसार सुविधायें दिये जाने सम्बन्धी नियमावली संलग्न है।

संलग्नक:यथोपरि

भवदीय,
14/9/12
(चन्द्रभानु)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
6. समस्त कोषाधिकारी उ0प्र0।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–12
8. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1
9. परिवहन अनुभाग–2/4
10. चिकित्सा अनुभाग- 1/6
11. गोपन अनुभाग–1
12. गृह (सामान्य) अनुभाग–1/2

आज्ञा से,
(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (सामान्य) अनुभाग-1
संख्या-800जेड/6-सा 1-2012-55जी/90
लखनऊ: दिनांक: 14-9-2012

नियमावली

यह नियमावली लोकतंत्र सेनानी, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरूद्ध रहे हों, को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनाई गई है और इसके अन्तर्गत लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि, निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जायेगी।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राशि सम्बन्धी नियमावली 2012" कही जायेगी।

(2) यह नियमावली दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

2- जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(1) **"लोकतंत्र सेनानी"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी व्यक्ति से है, जिसने देश में दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिये राजनैतिक रूप से सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया और जो इन कार्यक्रमों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में राजनैतिक रूप से निरूद्ध रहे हों।

(2) **"सम्मान राशि"** का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को स्वीकृत किये जाने वाली रू0 3000/- (रू0 तीन हजार मात्र) मासिक धनराशि से है।

(3) **"निःशुल्क परिवहन सुविधा"** का तात्पर्य लोकतन्त्र सेनानी को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिये जाने वाली निःशुल्क बस यात्रा सुविधा से है।

3- निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं माने जायेंगे:-

(1) राजनैतिक कारणों के अलावा अन्य किसी कारण से कारागार में निरूद्ध रहे व्यक्ति।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी को देय सम्मान राशि व अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के हित में या किसी और व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के हित में कोई असत्य विवरण या सूचना प्रस्तुत की हो या प्रमाण पत्र दिया हो।

सम्मान राशि स्वीकृत 4- करने का तरीका तथा अधिकार

(1) इन नियमों के अधीन कोई सम्मान राशि इन नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन अनुमन्य सम्मान राशि स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित जिलाधिकारी को होगा।

(3) सम्मान राशि का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात सीधे ही कर दिया जायेगा।

(4) ***लोकतन्त्र सेनानी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो एवं आपात काल के दौरान देश के किसी भी जेल में मीसा/डी0आई0आर0 में निरुद्ध रहा हो, वहाँ का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से की जायेगी।***

(5) यदि किसी ऐसे पात्र लोकतन्त्र सेनानी की मृत्यु दिनांक 01.04.2012 के पश्चात् योजना लागू रहने की अवधि के दौरान हो जाये तो उसके उत्तराधिकारी को उतनी अवधि की सम्मान राशि दी जायेगी, जितने दिन लोकतन्त्र सेनानी दिनांक-01.04.2012 के बाद जीवित रहा।

(6) ***लोकतन्त्र सेनानी को एक सहचर सहित*** उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा दी जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राजनैतिक पेंशन विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को नियमानुसार की जायेगी।

(7) लोकतन्त्र सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी एवं इसके लिये चिकित्सा विभाग द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(8) सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति को एकल बचत खाता जनपद के किसी बैंक की उस शाखा में जहाँ वह रहता है, में खोलना होगा तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।

(9) सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि के आहरण हेतु अनुदान की राशि का बिल सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। बिल के साथ सम्मान राशि पाने वाले व्यक्ति का नाम, बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और धनराशि बैंकवार विवरण संलग्न किया जायेगा। इस विवरण के अनुसार ही कोषागार द्वारा बैंकों की मुख्य शाखावार ट्रेजरी चैक जारी किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी इन चैकों के साथ बैंक शाखावार खाता धारकों के नाम, पता खाता संख्या तथा बैंक शाखा के नाम की सूची संलग्न कर जिले की सम्बन्धित बैंक की मुख्य शाखा में जमा करेंगे। तत्पश्चात् बैंक द्वारा उक्त विवरण के अनुसार सम्मान राशि पाने वाले खाता धारकों के खाते में धनराशि क्रेडिट की जायेगी। किसी भी दशा में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(10) सम्मान राशि एवं अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे तथा सुसंगत/नियमानुसार उनका लेखा परीक्षण कराना होगा।

सम्मान राशि बन्द 5- करना

इस नियमावली के अधीन स्वीकृत सम्मान राशि निम्नलिखित आधार पर अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा बिना नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है:-

(1) अनैतिक अपराध तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण।

(2) किसी भी जुर्म (राजनैतिक सजाओं को छोड़कर) पर दण्डित होने के कारण।

(3) नियम-3(1)(2) में उल्लिखित अपात्रता जिसके बावजूद गलत ढंग से सम्मान राशि प्राप्त कर ली गयी हो ।

सम्मान राशि हेतु 6- आवेदन-पत्र देने की रीति

(1) इस नियमावली के अधीन सम्मान राशि स्वीकृति के लिये आवेदन-पत्र संलग्नक में दिये गये प्रपत्र में सम्बन्धित जिलाधिकारी को दिये जायेंगे।

(2) आवेदक द्वारा कारागार में निरूद्ध रहने के समर्थन में निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिलाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) किसी भी प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा जांच करायी जा सकती है।

7- यदि कोई व्यक्ति, ऐसे विवरण या प्रमाण-पत्र के आधार पर जिसे गलत पाया जाय, सम्मान राशि प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर स्वीकृत सम्मान राशि किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा प्राप्त की गयी राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में उससे वसूल की जायेगी।

8- सम्बन्धित जिलाधिकारी सम्मान राशि स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। इसलिए यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए जिलाधिकारी ही उत्तरदायी होंगे।

9- इस नियमावली में यथावश्यकता संशोधन विभागीय मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।

(चन्द्रभानु)
सचिव।